

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

## वैनिक बजार सूची

गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी, 2000 (मार्च 21, 1921)

समय 10.30 बजे बिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पठल पर रखा जाना

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जबाहरलाल नेहरू कृषि विभागालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार जबाहरलाल नेहरू कृषि विभागालय, जबलपुर मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1997-98 (संचालक स्थानीय निधि सम्पत्तीका, मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियों स्पष्टीकरण हतु उत्तर एवं प्रमण्डल की ठिप्पणियाँ) पठल पर रखेंगे।

(2) श्री अनेशराम राठिया, मध्यो पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पठल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अनुप मिश्रा, सदस्य, भोपाल दुध संघ द्वारा दुध निर्मित पदार्थों की कीमत में बढ़ि किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, राज्य शासन द्वारा पेश भोगियों की मार्गों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. अनुपस्थिति की अनुजा

निर्बाचित भेत्र क्रमांक-154 इन्सेक्टो (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री महेन्द्र कर्मा को फरवरी-मार्च, 2000 सत्र की दिनांक 29 फरवरी, 2000 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुजा।

### 5. शासकीय विधि विचारक बजार

निर्धारित  
समय

1 बच्चा

श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि विभागालय विधेयक, 1999 (क्रमांक 40 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 6. वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक का उपस्थापन

3 बजे

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे।

भोपाल :  
दिनांक : 9 फरवरी, 2000

के.पी. हिंदारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा